राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपीडी/टी.ए./1482/2003/झालावाड

1– रुघनाथ पुत्र किशनदास जाति बैरागी,
2– रामप्रताप पुत्र किशनदास जाति बैरागी
3– महावीर अकवाम ग्राम ईरली, तहसील
अकवाम ग्राम ईरली, तहसील खानपुर, जिला झालावाड।

.....अपीलार्थी

बनाम

1– श्रीमती जगन्नाथी पुत्री भैरुदास पत्नी मोहनलाल, जाति बैरागी, निवासी सांगोद, जिला कोटा।
2– श्रीमती पुष्पाबाई पुत्री भैरुदास पत्नी द्वारकादास, जाति बैरागी, निवासी बिछलास, तहसील अटरु, जिला बारां।
3– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खानपुर।

.....रेस्पोडेन्ट्स

खण्ड पीठ

श्री शिखर अग्रवाल, सदस्य
श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य

उपस्थित–
श्री मुकेश जैन, अभिभाषक अपीलार्थी
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, अभिभाषक रैस्पो0

निर्णय

दिनांक : 16.10.2019

हस्तगत द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम, 1955) की धारा 224 के अन्तर्गत भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा अपील संख्या 38/2002 शीर्षक 'श्रीमती जगन्नाथी बनाम रुघनाथ' में पारित निर्णय दिनांक 24–03–2003 के विरुद्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी/रैस्पो0 संख्या 1 व 2 के पिता भैरुदास ने एक वाद संख्या 1297/1996 अधिनियम, 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा के समक्ष इस आशय का पेश किया कि आराजी स्थित ग्राम सारोला कलां, तहसील खानपुर खसरा नम्बर 2284, 2283, 2286, 2287, 2288, 2308, 2322 किता 6 कुल रकबा 17 बीघा 9 बिस्वा वादी 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण 1/2 हिस्सा खातेदारी कब्जे काश्त की है। आराजी के शामिलाती खाते में रहने से झगडा फिसाद होता रहता है। अतः दावा वादी डिक्री कर वादी के पक्ष में 1/2 हिस्सा पृथक से विभाजन कर दर्ज कराया जाये। इसी प्रकार से एक अन्य वाद संख्या 980/1983 वादीगण रुघनाथ वगैरा की ओर से अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 91व 188 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया कि प्रश्नगत आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण की शामिलाती आराजी है। प्रतिवादी संख्या–1 करीब 60

वर्ष पूर्व अपनी शामिलाती आराजी को वादीगण के पिता को संभला गया, अब इस आराजी पर वादीगण को खातेदार घोषित किया जाये और प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाये। परीक्षण न्यायालय ने दोनों वादों को एक ही निर्णय दिनांक 31–1–2002 से निर्णित करते हुये वाद संख्या 1297/1996 खारिज किया तथा वाद संख्या 980/1983 को डिक्री करते हुये प्रश्नगत आराजी में 1/2 हिस्से का वादीगण रुघनाथ वगैरा को खातेदार घोषित किया। उक्त निर्णय के विरुद्ध अपील प्रस्तुत होने पर भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31–1–2002 को निरस्त किया और वाद संख्या 1297/96 प्राथमिक डिक्री किया। उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक के विरुद्ध मण्डल के समक्ष हस्तगत द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

3– उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4– अपीलार्थी पक्ष के योग्य अधिवक्ता ने कथन किया कि अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय के समक्ष दो वाद प्रस्तुत किए गए थे जिनमें एक वाद संख्या 1297/1996 भैरुदास ने अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत प्रस्तुत किया तथा दूसरा वाद वाद संख्या 1297/1996 रुघनाथ वगैरा द्वारा भूरुदास के विरुद्ध अधिनियम की धारा 88, 89, 91 व 188 के तहत प्रस्तुत किया था। परीक्षण न्यायालय ने वादी/वर्तमान अपीलार्थीगण रुघनाथ के वाद को डिक्री किया था और भैरुदास के विभाजन के वाद को खारिज कर दिया था। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अविधिक रुप से इस निर्णय को निरस्त किया है। योग्य अधिवक्ता का बहस में कथन रहा है कि भैरुदास द्वारा अपना कोई पुत्र नहीं होना मानते हुये अपीलार्थी के पक्ष में दिनांक 26–12–1981 को वसीयत प्रदर्श डी–2 कर दी थी और इसे विधिवत रुप से पंजीबद्ध भी कराया गया है। इसके आधार पर नामांतरकरण संख्या 515 दिनांक 3–1–1984 रुघनाथ के पक्ष में स्वीकृत किया गया है। जमाबंदी में अंकन हो चुका है। भैरु द्वारा रघुनाथ को गोद भी लिया गया था और इसके सम्बन्ध में दस्तावेज प्रदर्श डी–1 भी प्रस्तुत किया गया था। मौखिक गवाहों से इस दस्तावेज की पुष्टि भी होती है। पंजीबद्ध वसीयत के सम्बन्ध में चुनौती सिर्फ सिविल न्यायालय में ही दी जा सकती है और सिविल न्यायालय से ही सक्षम आदेश इस सम्बन्ध में प्राप्त किया जा सकता है। वर्ष 1983 में भैरुदास ने जो दावा पेश किया है उसमें अपीलार्थी के पक्ष में हुये वसीयतनामे को निरस्त कराने का कोई जिक्र नहीं किया है। अपीलार्थी के पक्ष में वसीयत होने से उत्तराधिकार के आधार पर वाद दायर नहीं किया जा सकता है। परीक्षण न्यायालय द्वारा विधिसम्मत रुप से पारित किये गये निर्णय को निरस्त करने में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने भूल की है, अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के निर्णय को निरस्त किया जाये और परीक्षण न्यायालय के निर्णय को यथावत बहाल रखा जाए।

5– रैस्पो0 पक्ष के योग्य अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि वादी नामांतरकरण के आधार पर अपना पक्ष रख रहे हैं किन्तु नामांतरकरण एक वित्तीय कार्यवाही है और वित्तीय कार्यवाही के आधार पर टाइटल तय नहीं किए जा सकते हैं। इस बिन्दु पर योग्य अधिवक्ता ने अपने पक्ष में डी0एन0जे0 (एस0सी0) 2003 (2) पेज 346, आर0आर0डी0 2005 पेज 87 को उद्धरित किया। योग्य अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रश्नगत भूमि सह खातेदारी की भूमि है और एक सह खातेदार का कब्जा सभी सह खातेदारों का माना जाता है और एक सह खातेदार को कब्जे के आधार पर किसी प्रकार के हकूक अर्जित नहीं होते

हैं। आर0आर0टी0 2008 (1) पेज 154 को उद्धरित किया। वसीयत की वैद्यता का परीक्षण राजस्व न्यायालय से नहीं किया जा सकता है। अपील सारहीन है जिसे खारिज किया जाए। अपने कथन के समर्थन में योग्य अधिवक्ता ने न्याय दृष्टान्त 2003 (2) डी0एन0जे0 (राज0) पेज 1143, 2013 (2) आर0आर0टी0 पेज 1054, 2019 (1) आर0आर0टी0 पेज 184 एच0सी0, 2018 (2) आर0आर0टी0 पेज 848 डी0बी0 भी प्रस्तुत किए।

6– उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के निर्णयों का अवलोकन, अध्ययन किया गया।

7– हस्तगत प्रकरण में परीक्षण पर पाया जाता है कि वादी/रैस्पो0 संख्या 1 व 2 के पिता भैरुदास द्वारा धारा 53 के अन्तर्गत वाद प्रश्नगत आराजी में 1/2 हिस्सा हेतु प्रस्तुत किया गया था और इसी प्रकार से एक अन्य वाद रुघनाथ वगैरा की ओर से धारा 88, 89, 91, 188 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जिसमें प्रतिवादी संख्या–1 द्वारा अपनी आराजी को उसके पक्ष में देना बताते हुये सम्पूर्ण आराजी के सम्बन्ध में दावा डिक्री किये जाने का अनुतोष चाहा गया। परीक्षण न्यायालय ने वादी भैरुदास के वाद को खारिज किया तथा वादीगण रुघनाथ वगैरा के वाद को डिक्री करते हुए उसे खातेदार घोषित किया। अपील प्रस्तुत होने पर भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31–1–2002 को निरस्त किया और वादी भैरुदास के वाद को प्राथमिक डिक्री किया है। परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय का मुख्य आधार यही लिया था कि खातेदार भैरुदास के द्वारा अपने जीवनकाल में अपनी 1/2 हिस्से की भूमि की वसीयत रघुनाथ के पक्ष में निष्पादित करवा दी थी और उसके पक्ष में इंतकाल संख्या 515 दिनांक 3–1–1984 को स्वीकृत हो कर जमाबंदी में अमल हो चुका था। इसके अलावा उन्होंने अपने निर्णय में ये भी माना है कि भैरुदास द्वारा रघुनाथ को अपना वालीवासर यानि गोदपुत्र के रुप में रख लिया था। इस प्रकार अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय ने इसी आधार पर वादी रघुनाथ के पक्ष में भैरुदास की खातेदारी की 1/2 हिस्से की डिक्री प्रदान की है। प्रकरण में परीक्षण से सुस्पष्ट है कि प्रश्नगत आराजी में 1/2 हिस्सा रघुनाथ, रामप्रताप, महावीर पि0 किशनदास एवं 1/2 हिस्सा भैरुदास पि0 नारायण दास का रहा है। भैरुदास द्वारा प्रदर्श–2 पंजीकृत वसीयत दिनांक 26–12–1981 को रघुनाथ के पक्ष में की है जिसके आधार पर इंतकाल संख्या 515 दिनांक 3–1–1984 को स्वीकृत हो कर जमाबंदी में अमल हुआ है। प्रदर्श पी.2 भैरुदास द्वारा दिनांक 30–9–1982 को अपीलार्थी जगन्नाथी व पुष्पाबाई, अपनी पुत्रियों के पक्ष में पंजीकृत वसीयतनामा लिखा गया है। इसके साथ ही प्रदर्श–3 में भैरुदास द्वारा दिनांक 30–9–1982 को लिखी गई तहरीर है जो पंजीबद्ध है और इसमें रघुनाथ के पक्ष में लिखी गई वसीयत दिनांक 26–12–1981 को निरस्त किए जाने का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि मृतक भैरुदास द्वारा रघुनाथ के पक्ष में जो वसीयत पंजीकृत कराई थी उसे पंजीबद्ध तहरीर के द्वारा निरस्त कराने का अंकन किया है और अपनी पुत्रियों के पक्ष में वसीयत सम्पादित की गई है। जगन्नाथी व पुष्पाबाई मृतक भैरुदास की पुत्रियां होने से उसकी प्राकृतिक वारिस हैं और उनके पक्ष में विधिवत भैरुदास द्वारा पंजीकृत वसीयतनामा भी लिखा गया है। भैरुदास का प्रश्नगत आराजी में 1/2 हिस्सा अभिलिखित सह–खातेदारी का रहा है और भैरुदास की पुत्रियों को इसमें विधिवत उत्तराधिकार के आधार पर हक हासिल है। अतः अपनी सह खातेदारी की आराजी का विभाजन कराने का उसे विधिक रुप से अधिकार

हासिल रहा है। अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय ने मात्र नामांतरकरण के अंकनों के आधार पर वर्तमान अपीलार्थी के पक्ष में वाद को डिक्री किया है किन्तु इस सम्बन्ध में योग्य अधिवक्ता रैस्पो0 द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टांत डी0एन0जे0 (एस0सी0) 2003 (2) पेज 346, आर0आर0डी0 2005 पेज 87 से स्पष्ट है कि नामांतरकरण एक वित्तीय कार्यवाही है और वित्तीय कार्यवाही के आधार पर टाइटल तय नहीं किए जा सकते हैं, अतः अपीलार्थी के पक्ष में परीक्षण द्वारा भैरुदास की सह–खातेदारी की 1/2 हिस्से की डिक्री प्रदान किया जाना उचित कार्यवाही नहीं रही है। न्याय दृष्टान्त आर0आर0टी0 2008 (1) पेज 154 के अनुसार एक सह खातेदार को कब्जे के आधार पर किसी प्रकार के हकूक अर्जित नहीं होते हैं। पक्षकारान के मध्य मूल विवाद वसीयत के सम्बन्ध में है और इसके लिये सक्षम न्यायालय राजस्व न्यायालय नहीं हो कर सिविल न्यायालय है। अतः इस प्रकार की स्थिति में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय तथ्यों व रिकार्ड के आधार पर न्यायोचित निर्णय है जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता होना नहीं पाया जाता है और द्वितीय अपील के स्तर पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अपील सारहीन होने से **खारिज** की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार नाग)
सदस्य

(शिखर अग्रवाल)
सदस्य